संख्या-92/2016/935जेएल/22-3-16-800(117)/2013

प्रेषक,

पलबिन्दर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
सुलतानपुर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 10 मार्च, 2016***

विषय- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के बंदी विश्वनाथ पुत्र श्री हुबलाल, निवासी-हरिहरपुर, थाना-कुड़वार, जनपद-सुलतानपुर को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के बंदी विश्वनाथ पुत्र श्री हुबलाल, निवासी-हरिहरपुर, थाना-कुड़वार, जनपद-सुलतानपुर को शासनादेश संख्या-31/2016/3964जेएल/22-3-15-800(117)/2013, दिनांक 28-01-2016 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-92/2016/935जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, सुलतानुपर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in